संख्या-395**/2024/4647/41-1-2023-180 (बजट)/2019-सी0एन0-1643230**

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 15 मार्च, 2024**

विषय:-जनपद प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम निषादराज पार्क (फेज-1) के पर्यटन विकास हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं0-4500/6-1-1/(990)/2018, दिनांक 26.09.2023, पत्र संख्या-8514/6-1-1(990)/2018 दिनांक 07.02.2024 एवं पत्र संख्या-9305/6-1-1/(990)/2018 दिनांक 28.02.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जनपद प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम निषादराज पार्क (फेज-1) के पर्यटन विकास हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित की गयी लागत के सापेक्ष योजना की प्रशासकीय एवं अवमुक्त की गयी वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	2020-21	संख्या-282/2020/2477/41-2020-180(बजट)/2019 दिनांक 26.11.2020	रू० 1449.04 (जी0एस0टी0 सहित)	रू० 225.00
2	2021-22	संख्या-165/2022/740/41-2022-180(बजट)/2019 दिनांक 25.03.2022		रू० 119.98
3	2022-23	संख्या-376/2022/1710/001-41-2022-180-बजट-2019 दिनांक 17.06.2022		रू० 28.01
4	2022-23	संख्या-443/2022/2502/002-41-2022-180-बजट-2019 दिनांक 28.07.2022	संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति रू० 1313.16 (जी0एस0टी0 सहित)	रू० 470.00
5	2022-23	संख्या- 615/2022/5244/004-41-2022-180-बजट-2019, दिनांक 14.12.2022	--	100.00
कुल अवमुक्त धनराशि				**942.99**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु प्रस्तावित पुनरीक्षित लागत रू0 1975.00 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 1963.00 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रायोजना हेतु रू0 1963.00 लाख (जी0एस0टी0 सीहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि प्रश्नगत प्रायोजना पर वर्तमान व्यवस्थानुसार सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होंगे ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 26.11.2020, 25.03.2022, 17.06.2022, 28.07.2022 एवं 14.12.2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है तथा निदेशालय द्वारा भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी भी दशा में प्रायोजना की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि का भुगतान न किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रकिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रकिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017 दिनांक 12.05.2017 में निहित शर्तो एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2 /2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(4) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा।

(10) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु सेन्टेज का भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/ 2023/ ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगा।

(12) प्रायोजना में निहित ऐसी कार्य मदें जो कि लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2020/2022 की दर अनुसूची तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वर्ष 2021 की दर अनुसूची में नहीं है तथा जिनको बाजार दरों/कोटेशन पर आधारित किया गया है, को इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है । इन दरों को न्यूनतम एवं वास्तविक दरों पर कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशालय/कार्यदायी संस्था का होगा ।

(13) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोज़र रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी । परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/ उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी ।

5. प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश सं0-443/2022/2502/002-41-2022-180-बजट-2019 दिनांक 28.07.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय।

6. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-441/दस-2023-24, दिनांक 13 जनवरी, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नंलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
5- उप निदेशक, पर्यटन (राज्य योजना) निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल), तेलियरगंज, प्रयागराज।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।